तारीख हुक्म	**न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा, जिला–डूंगरपुर** **नियमित दाण्डिक प्र.सं. 509/2023** RJDG09-000795-2023 **राजस्थान राज्य बनाम मणिलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक : 11.03.2026

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त **मणीलाल** मय अधिवक्ता श्री विरेन्द्रसिंह चौहान के साथ जेसी से उपस्थित। बहस आरोप सुनी गयी। अभियुक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो सुन समझ अपराध स्वीकार कर अंवीक्षा नही चाही।

इसी प्रक्रम पर अभियुक्त ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया व प्रकरण का अंतिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता/अभियुक्त को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री एवं अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त **मणीलाल पिता धुला उम्र 55 साल निवासी दरियाटी पुलिस थाना कुंआ जिला डूंगरपुर, राजस्थान** को अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है

(हरिश मेनारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

सजा व परिवीक्षा के प्रश्न पर सुनने एवं पत्रावली और विधि का अवलोकन करने के बाद न्यायालय का विनम्र मत इस प्रकार है कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य नहीं है इस आशय का अभियुक्त ने शपथ–पत्र पेश किया। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्त **मणीलाल पिता धुला उम्र 55 साल निवासी दरियाटी पुलिस थाना कुंआ जिला डूंगरपुर, राजस्थान** को दोषसिद्ध अपराध धारा 4/25 आयुध अधिनियम में तत्काल किसी सजा से दण्डित नहीं कर अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त 20,000 रूपये का मुचलका व इसी कदर राशी की एक जमानत 02 वर्ष की अवधि के लिये इन शर्तो की पेश कर तस्दीक करावे कि वह समाज मे शान्ति व सदाचार बनाए रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर सजा भुगतने हेतु तत्पर रहेगा तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत 500/–रूपये बतौर अभियोजन व्यय जमा करायेगा। **प्रकरण में जब्तशुदा आयुध के नियमानुसार निस्तारण हेतु थानाधिकारी को पृथक से तहरीर जारी की जावें।**

अभियुक्त ने आदेशानुसार अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 के तहत/437 ए के जमानत मुचलका पेश किये, जो बाद जांच तस्दीक किये गये। अभियुक्त ने धारा 05 के तहत अभियोजन व्यय की राशि 500/–रूपये जरीये **चालान नंबर 0119783503 दिनांक 11.03.2026** से जमा कर प्रति पेश की। अभियुक्त जेसी में है, अभियुक्त का रिहाई आदेश जारी कर लिखा जावें कि प्रकरण का अंतिम निस्तारण हो चुका है कोई कार्यवाही शेष नही है। अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नही हो तो अविलंब रिहा कर दिया जावें।

पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः पत्रावली बाद तकमिलान फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

RAMANALAL
sehrishtedar grade-II
"I attest to the accuracy and authenticity of document."
Digitally signed by RAMANALAL
Location: JM COURT SIMALWARA
Date: 2026.03.17 11:09:38 +0530

(हरिश मेनारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा जिला डूंगरपुर